line in this proportion of plan and non-plan expenditure?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (d). There are five Demands for Grants of the Ministry of Irrigation and Power, given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1035/67].

संत नगर, दिल्ली

5608. **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कैलाश नगर के पास की संत नगर कालोनी को एक अधिकृत कालोनी घोषित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कालोनी को मंजूर करने के प्रश्न पर दिल्ली विकास प्राधिकार तथा दिल्ली नगर निगम के बीच मतभेद है जिसके परिणामस्वरूप उक्त कालोनी के निवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) उनमें किन बातों पर मतभेद है तथा इन मतभेदों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :(क) से (ग). संत नगर कैलाश के निकट एक ग़ैर सरकारी अनधिकृत बस्ती है । यह क्षेत्र 19 नवम्बर, 1958 को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन विकसित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तथा इस प्रकार इसके विकास की योजनाओं को बनाने। अनुमोदन करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एक सक्षम प्राधिकरण है । दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 17 अगस्त, 1960 को एक संकल्प के द्वारा इस बस्ती के नियमतीकरण की योजना बनाई थी । इस योजना को अपना लिया गया था तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'ईस्ट आफ़ कैलाश" नाम की अपनी रिहायशी योजना के लिए बनाई गयी विकास योजना में एकीकृत कर लिया था । यह एकीकृत ले-आउट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 1961 को अपने संकल्प संख्या 272 के द्वारा अनुमोदित कर लिया था । इस योजना के विरोध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विचाराधीन हैं । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम के मध्य संत नगर के ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है ।

माही नदी बांध परियोजना

5609. **श्री ओंकार लाल बोहरा :**
श्री रा० कृ० अमीन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माही नदी 'बगाद' खण्ड की जीवन दायिनी नदी है और इस पर प्रस्तावित बांध का निर्माण-कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस योजना के सम्बन्ध में गुजरात तथा राजस्थान राज्यों के बीच एक समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि धन की कमी के कारण इस योजना पर कई बार काम बन्द किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) राजस्थान और गुजरात में माही नदी के पानी के इष्टतम उपयोग के लिये

कदनाबांध और बनसवाड़ा के निकट बजाज सागर बांध प्रस्तावित है । सीमित व्यय राशियों को, जिनका प्रबन्ध राजस्थान सरकार चौथी योजना के दौरान कर सकती है, ध्यान में रखते हुए बजाज सागर बांध का काम स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) जी हां । एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1036/67]

(ग) मूल बनसवाड़ा परियोजना 1958 में स्वीकार की गई थी । परन्तु इस पर शीघ्र कार्य आरम्भ न किया गया क्योंकि एक बृहत्तर बहूद्देश्यीय परियोजना वांछनीय समझी गयी और गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच समझौता केवल 1966 में हो पाया ।

जाखम नदी परियोजना

5610. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने जाखम नदी परियोजना के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा यह इस समय किस अवस्था में है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त परियोजना राजस्थान के सीमित संसाधनों के कारण कार्यान्वित न की जा सकी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित बांध के नीचे पिक-अप बांध बनाये जाने के बावजूद भी उपरोक्त पिक-अप बांध बेकार है क्योंकि पानी लगातार नहीं बहता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत जाखम नदी परियोजना कार्यान्विति के लिए 1962 में स्वीकार की गई थी । पिक-अप वियर और बाएं तट वाली 14 मील की छोटी नहर का काम लगभग पूरा हो चुका है । चिनाई बांध और नहर प्रणाली के शेष भाग का काम पर्याप्त व्यय राशि न मिलने के कारण रुक गया है ।

(घ) पिक-अप वियर और छोटी नहर से लगभग 4000 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ।

Ayurvedic Medicines in C.G.H.S. Ayurvedic Dispensaries

5611. **Shri M. L. Sondhi:**
Shri Beni Shanker Sharma:
Shri K. P. Singh Deo:
Shri Kameshwar Singh:
Shri K. M. Madhukar:
Shri P. N. Solanki:
Shri Dhireswar Kalita:
Shri N. S. Sharma:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shrimati Tarkeshwari Sinha:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some essential and effective ayurvedic medicines like SWAS KASA CHINTAMANI MAKARADHWAJA, YOGENDRARAS, SWAR NA BASANT MALTI, etc. used in emergency have been deleted from the approved list of medicines for Central Government Health Scheme Ayurvedic dispensaries; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b). These are costly medicines and have been deleted from the general list. However, any of these medicine if essential in any case can be prescribed and procured on the advice of the Ayurvedic Adviser. This procedure has been adopted to ensure that costly medicines are not prescribed where more economical medicines of equal theraupatic value can serve the purpose.